# –: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 16/2024

**उनवान**

1. शिवराज पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम रामबाडी देराठू, नसीराबाद
—— प्रार्थीगण :– जरियें अधिक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. अभिषेक पुत्र गोविन्दराम
2. ज्योति पुत्री गोविन्दराम
3. भागचन्द पुत्र गोविन्दराम
4. सीतादेवी पुत्री गोविन्दराम समस्त जाति अहीर निवासी नसीराबाद
5. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
6. आशीष पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी कल्याण कॉलोनी, केकडी

—— अप्रार्थीगण :– 1 जरिये अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
2 से 4 व 6 अनुपस्थित, 5 जरियें राज. पैरोकार

<u>प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 251 ए** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

–: आदेश :– दिनांक :– 2.1.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उत आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 1245 व 1250 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। उक्त आराजी पर आवागमन हेतु प्रार्थी अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1248 में पूर्व से पश्चिम में प्रवेश करता है। उक्त ामर्ग का प्रार्थी कदीम से उपयोग कर रहा है। उक्त आराजी में से आवागमन हेतु प्रार्थीगण के पास एकमात्र रास्ता है। अतः प्रार्थीगण को उक्त आराजी में से 30 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 से 4 व 6 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आवेदनकर्ता की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1245 व1250 में मुख्य सडक से हाल खसरा नम्बर 8192/1246 में वर्तमान में मौके पर रास्ता बना हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की भूमि पर कोई रास्ता नही है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की भूमि हाल खसरा नम्बर 1248 का वर्तमान में तरमीमी खसरा नम्बर के तरमीमी खसरा नम्बर 8574/2572 है जो संपरिवर्तन भूमि है। संपरिवर्तन भूमि में रास्ता का वाद पेश किया है। प्रार्थी ने भूमि की कीमत बढाने के लिये रास्ते की मांग की है। उक्त भूमि का सपंरिवर्तन नगर पालिका द्वारा किया गया है। उक्त भूमि में से रास्ते का कोई प्रावधान नही है। प्रार्थना पत्र बिना श्रेत्राधिकार के पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

तहसीलदार नसीराबद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 1245 रकबा 0.30 व 1250 रकबा 0.39 प्रार्थी की खातेदारी की है। हाल खसरा नम्बर 1248 रकबा 0.4523 अप्रार्थीगण की खातेदारी की है। अप्रार्थीगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:13:01 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

भूमि राजमार्ग से लगती हुयी है। तहसीलदार नसीराबद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट वर्तमान में खातेदार खसरा नम्बर 8573/8572, 8574/8572 में से आवागमन करते है। अप्रार्थीगण का खातेदारी खसरा नम्बर 1248 कई भागो में विभाजित हो गया है। खसरा नम्बर 8573/8572 जिसमें से आवागमन करते है का कुछ हिस्सा ही प्रार्थी की खातेदारी खेत के लगायत है। खसरा नम्बर 8574/8572 वर्तमान में वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ दर्ज है जो कि नगरपालिका नसीराबाद के नाम दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर का लगभग 9 फिट हिस्सा ही प्रार्थी के खसरा नम्बर से लगायत है, जो कि न्यूनतम चौडाई से कम होने के कारण रास्ता दिया जाना उचित नही है। उक्तानुसार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा जिस आराजी में से रास्ता चाहा गया है। उस भूमि का सपंरिवर्तन हो चुका है। अप्रार्थीगण के पास जो अकृषि आराजी बची है उसमें से मात्र 9 फिट रास्ता ही दिया जा सकता है किन्तु 9 फिट रास्ता आवागमन हेतु पर्याप्त नही हैं। अकृषि भूमि में से रास्ता नही दिया जा सकता है। प्रार्थी के खातेदारी खसरा नम्बर 1245 व 1250 आस–पास नही होकर एक दूसरे से दूर स्थित है। खसरा नम्बर 1250 में रास्ता दिये जाने के बाद भी खसरा नम्बर 1245 पर मार्ग उपलब्ध नही होगा। अतः प्रार्थी आराजी मुतनाजा से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

उक्तानुसारः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:13:01 IST
Reason: SelfAttested